संख्या-14/2015/651/क0नि0प्र0/26-3-15-18(121)/98

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग लखनऊ:दिनांक: 07 जुलाई,2015

विषयः- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टंकण/ आशुलिपि, हथकरघा एवं बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कार्यरत स्टाफ हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-426/लेखा अनुभाग/2015-16 दिनांक 27 मई,2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना, हथकरघा तथा बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजना के कार्मिकों के वेतन, भत्ते आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए रू0 263.55 लाख (रू0 दो करोड़ तिरसठ लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर व्यय की जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेगा

3- उक्त अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें □ाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-/925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव

संख्या-14/2015/651 (1)/क.नि.प्र./26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आ□ट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
6- गा□ फाइल।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in